

51-8
17/8/12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. Of 2012
Akhilesh Kumar Singh and othersPetitioners
Versus

The State of Bihar and othersRespondents

SUBJECT: PAYMENT OF SALARY.

INDEX

Serial no.	Particulars	Page no.
1	An application under Article 226 of the Constitution of India.	01-23
2 Annexure-1	A photocopy of memo no. dated	
2 Annexure-2	A photocopy of letter no.1566 dated 09.11.2011, issued by RDDE, Saharsa.	24-26
3 Annexure-3	A photocopy of memo no.327 Patna dated 01.02.2012.	27-28
4 Annexure-4 Series	Photocopy of reference no.62 dated 18.06.2012.	29-33
5 Annexure-5 Series	Photocopy of representations received on 20.03.2012, 24.03.2012, 27.03.2012, 15.05.2012 and 21.05.2012.	34-62
7	VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No.

Of 2012

Akhilesh Kumar Singh and othersPetitioners

Versus

The State of Bihar and others

.....Respondents

SYNOPSIS OF THE CASE

Prayer:

This writ application is being filed on behalf of the petitioner above named for issuance of an appropriate writ/writs, direction/directions, order/orders in the nature of 'MANDAMUS', for commanding and directing the respondents authorities to payment of due salary of the covering period from 2006-08 against the grant/aid allotted by the State Government for the said purpose, taking into consideration the fact that the salary for the working period is no longer the bounty of the employer and the employees rather it is a constitutional and statutory right to the employees and its fulfillment is the binding to the employer and for issuance of any other writ/writs, order/orders, direction/directions for which the writ petitioner would be found entitled under the facts and circumstances of the case as stated hereinafter.

Chronological list of events:-

- 9.11.11: The Regional Deputy Director Education, Saharsa had issued the letter no.1566 dated 09.11.2011 in connection of the information of teaching and non-teaching employees of the college in question submitted by the Principal of the college dated 12.06.2010 under Right to Information Act, 2005 which includes their name and the details with respect to the appointment and joining in the different subjects/faculty.
- 1.2.12: The Deputy Director, Secondary Education had issued the order under memo no.327 Patna dated 01.02.2012 address to the District Education Officer, Madhepura providing the amount of grant/aid Rs.38,64,800/- to the college in question for the year 2006-08. The direction was issued reflects that the same was provided for the payment of the salary to the teaching and non-teaching employees legally appointed under the sanctioned strength/posts. The further indication was for the mode of payment through the Cheques under the account of the concerned employees.
- 18.6.12: The names and details of the employees communicated by the Principal of the college under reference no.62 dated 18.06.2012 address to the District Education Officer, Madhepura in shape of the utility certificate is quite clear that the name figures in the list supplied by the R.D.D.E., Saharsa and the Principal subsequently are quite different. It is submitted that the list supplied by the Principal as utility

certificate did not disclose the payment of these petitioners and their names did not figure whereas the name of several persons were included in the payment list whose names were not available in the list of the R.D.D.E., Saharsa. It is explaining the conducts of the authority concerned.

Annex-5 Series:

The highhandedness, illegality and irregularity committed by the administration to the college in question were brought to the notice of the official respondents with a hope and trust that the issue may be examined and the payment insured after rectification and removing the defects and discrimination but the issue remains intact. Although the representations received on 20.03.2012, 24.03.2012, 27.03.2012, 15.05.2012 and 21.05.2012.

Hence, this petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

CWJC No.

Of 2012

In the matter of an
application under Article
226 of the Constitution of
India;

AND

In the matter of:-

1. Akhilesh Kumar Singh, Son of Late Tarkeshwar Prasad Singh, resident of Village + Post- Arrah, P.S.- Gheladh, District- Madhepura. Presently posted as Lecturer, Department of Physics, Swami Viveka Nand College, Madhepura.
2. Arbind Kumar Singh, Son of Shree Aniruddh Prasad Singh, resident of Village- Bara (East), Post- Khokshi Savanpur, Police Station- Gwalpara, District- Madhepura.

Presently posted as Lecturer, Department of Logic, S.V.N. College, Madhepura.

3. Lal Bahadur Yadav, Son of Late Mauje Lal Yadav, resident of Village + Post- Daparkha, Police Station Triveniganj, District- Supaul. Presently posted as Lecturer, Department of Biology, S.V.N. College, Madhepura.
4. Chandra Shekhar Yadav, Son of Shree Shiv Narayan Yadav, resident of Village- Ithari, Post- Gohmani, Police Station- Singheshwar, District- Madhepura. Presently posted as Lecturer, Department of Political Science, S.V.N. College, Madhepura.
5. Sunita Kumari, Wife of Shree Arun Kumar Singh, resident of Village + Post- Arraha, Police Station- Gheladh, District- Madhepura. Presently posted as Lecturer, Department of Hindi, S.V.N. College, Madhepura.
6. Sanjeev Kumar Singh, Son of Late Bal Bhadra Singh, resident of Village + Post- Bishunpur, Via- Dhabauti, Police Station- Sour Bazar, District- Saharsa. Presently posted as

Lecturer, Department of Mathematics, S.V.N. College, Madhepura.

7. Girish Kumar Singh, Son of Anant Pat Singh, resident of Village + Post- Arraha, Police Station- Gheladh, District- Madhepura. Presently posted as Lecturer, Department of Economics, S.V.N. College, Madhepura.
8. Rajeev Kumar, Son of Late Din Dayal Bhagat, resident of Village + Post- Triveniganj, Police Station- Triveniganj, District- Supaul. Presently posted as Lecturer, Department of Maithili, S.V.N. College, Madhepura.
9. Hemendra Kumar, Son of Late Nand Kishore Yadav, resident of Village + Post- Sabaila, Via- Madhepura, Police Station- Sour Bazar, District- Saharsa. Presently posted as Lecturer, Department of Social Studies (Sociology), S.V.N. College, Madhepura.
10. Mani Bhushan Prasad, Son of Ram Krishna Prasad, resident of Village + Post- Bengha, Ward No.4, Police Station+ District- Saharsa. Presently posted as Lecturer, Department of Hindi, S.V.N. College, Madhepura.

11. Mohan Prasad Yadav, Son of Neklal Prasad Yadav, resident of Village - Barkurwa, P.O.- Rampur, Police Station- Simri Bakhtiarpur, District- Saharsa. Presently posted as Lecturer, Department of History, S.V.N. College, Madhepura.
12. Subodh Yadav, Son of Late Sukhdeo Prasad Yadav, resident of Village -Adawari, Post- Keshav Nagar, Police Station- Chautham, District- Khagaria. Presently posted as Lecturer, Department of English, S.V.N. College, Madhepura.
13. Yog Naryan Rai, Son of Late Mahendra Rai, resident of Mohalla- Ward No.10, Old Market- Madhepura, P.O.+P.S.+ District- Madhepura. Presently posted as Lecturer, Department of Physical instruction, S.V.N. College, Madhepura.
14. Yogendra Prasad Yadav, Son of Sri Shiv Narayan Yadav, resident of Village + Post- Sukhashan, Police Station- Singheshwar, District- Madhepura. Presently posted as Head Clerk, S.V.N. College, Madhepura.

15. Udip Kumar, Son of Niro Yadav, resident of Village + Post- Chikni Fulkha, Police Station- Ghamaria, District- Madhepura. Presently posted as Cashier, S.V.N. College, Madhepura.
16. Vimal Poddar, Son of Sri Kamleshwari Prasad Poddar, resident of Village + Post- Sukhashan, Police Station- Gamaria, District- Madhepura. Presently posted as Clerk, S.V.N. College, Madhepura.
17. Shambhu Kumar, Son of Mohan Prasad Mehta, resident of Village + Post- Sukhashan, Police Station- Singheshwar, District- Madhepura. Presently posted as Typist Clerk, S.V.N. College, Madhepura.
18. Ramesh Kumar, Son of Laxman Prasad Yadav, resident of Village + Post- Sukhashan, Police Station- Singheshwar, District- Madhepura. Presently posted as Peon, S.V.N. College, Madhepura.
19. Dinesh Kumar, Son of Laxman Prasad Yadav, resident of Village + Post- Sukhashan, Police Station- Singheshwar,

District- Madhepura. Presently posted as Typist Clerk,
S.V.N. College, Madhepura.

20. Lalan Kumar, Son of Sahdeo Prasad Mehta, resident of
Village + Post- Sukhashan, Police Station- Singheshwar,
District- Madhepura. Presently posted as Peon, S.V.N.
College, Madhepura.
21. Subhash Kumar Mehta, Son of Sahdeo Prasad Mehta,
resident of Village + Post- Sukhashan, Police Station-
Singheshwar, District- Madhepura. Presently posted as
Peon, S.V.N. College, Madhepura.
22. Sushil Kumar, Son of Ramchandra Poddar, resident of
Village + Post- Bakhri, Police Station- Bakhri, District-
Begusarai. Presently posted as Peon, S.V.N. College,
Madhepura.
23. Dhruv Kumar Modi, Son of Late Hari Modi, resident of
Village - Phoolpur, Post- Makdampur, Police Station-
Puraini, District- Madhepura. Presently posted as Lab
Technician, S.V.N. College, Madhepura.

24. Raghunandan Sah, Son of Late Balo Sah, resident of Village + Post- Bengaha Ward No.4, Police Station + District- Saharsa. Presently posted as Peon, S.V.N. College, Madhepura.

.....Petitioners

VERSUS

1. The State of Bihar
2. The Principal Secretary, Education Department, Government of Bihar, New Secretariat, Bailey Road, Patna
3. The Director, Secondary Education, Government of Bihar, Buddha Marg, Patna
4. The Chairman, Bihar School Examination Board, Patna.
5. The Secretary, Bihar School Examination Board, Patna.
6. The District Magistrate, Madhepura
7. The District Education Officer, District- Madhepura
8. The Sub-Divisional Officer, District- Madhepura

9. Dr. Awadhesh Kumar Singh, Chairman, Swami Viveka Nand College, Madhepura, Son of Sitaram Singh, resident of Mohalla- Anand Vihar (West of P.H.E.D. Office), Ward No.3, Police Station + District- Madhepura.
10. Surendra Kumar, Secretary, Swami Viveka Nand College, Madhepura, Son of Swaroop Lal Prasad, resident of Mohalla- Anand Vihar, Ward No.2, Police Station + District- Madhepura.
11. Veena Kumari, Wife of Surendra Kumar, Principal, Swami Viveka Nand College, Madhepura, resident of Mohalla- Anand Vihar, Ward No.2, Police Station + District- Madhepura.

.....Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of
the petitioners named above.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That this writ application is being filed on behalf of
the petitioner above named for the following relief's:-

- (i). For issuance of an appropriate writ/writs,
direction/directions, order/orders in the
nature of 'MANDAMUS', for commanding
and directing the respondents authorities to
payment of due salary of the covering period
from 2006-08 against the grant/aid allotted
by the State Government for the said
purpose, taking into consideration the fact
that the salary for the working period is no
longer the bounty of the employer and the
employees rather it is a constitutional and
statutory right to the employees and its
fulfillment is the binding to the employer.

(ii). For issuance of any other writ/writs, order/orders, direction/directions for which the writ petitioner would be found entitled under the facts and circumstances of the case as stated hereinafter.

2. That in the instant case following law points emanates for kind consideration of this Hon'ble Court:-

- a) Whether the respondent authorities have failed to appreciate to comply their legal and constitutional obligation towards the payment of salary to the employees of the college in question including the petitioners for the period all ready been worked?
- b) Whether the respondent authorities have failed to appreciate that the payment of salary is not the charity or the mercy of the employer towards the employees rather it is a fundamental and the statutory right and cannot be utter?

- c) Whether the respondent authorities have failed to appreciate that the private respondent are not a sovereign and above the law rather the law enacted by the State Government is the binding precedent which cannot be curtailed?
- d) Whether the respondent authorities have failed to appreciate their responsibility and maintained the silence and permitted the petitioners to raise their voice and cry having tear in eyes for their statutory and the constitutional right?
- e) Whether the respondent authorities have failed to appreciate that no one may behave like a king who is above the law or as a free wheeler without break when particularly the break up the law in shape of the restriction are available as the binding precedent and

as such the breaker of the law must be punished with iron hands?

- f) Whether the respondent authorities have failed to appreciate that the State and its authorities provided the funds for a particular purpose of the payment of salary, then the same may be acted upon in true sense and spirit?
- g) Whether the respondent authorities have failed to appreciate that the right of equity is the constitutional right, cannot be permit the authority to separate the equal as unequal or a class in a sub-class?
- h) Whether the State authority are bound and examine the correctness and genuiness of the payment of salary to the genuine employees and stop the high handedness of the management taking into consideration that the funds allotted by the State

Government for the said purpose has a nexus and creation of the public exchequer as the payment of the taxes by the people at mass under the different heads?

- i) Whether the action of respondent authorities is illegal, arbitrary, discriminatory and colourable exercise of power in law and facts both?
- j) Whether the action of respondent authorities are otherwise bad in law and facts and it may required the consideration by the court of law in the light of the relief as sought for under the writ jurisdiction?

3. That the petitioners are citizen of India and residing well within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the petitioners are the teaching and non-teaching employees of Swami Viveka Nand College, Madhepura. It is relevant to state here that the college in

question was established by the local public with the pious wishes to provide the education to the growing children.

5. That on and after completing the process the appointment were made against departments /faculty to the college in question.

6. That within a very-very short period the college in question had acquired the high reputation in the locality and as such the necessary permission for the admission/examination was granted under ~~memo no.~~ *with the rule* ~~dated~~ *continuously* and the proposal of permanent affiliation is still under consideration.

A photocopy of memo no.
dated is being
annexed herewith and marked as
ANNEXURE-'1' to this writ
application.

7. That the petitioners are working since long back and rendering the services to the satisfaction of the authority concerned which leads the clean service records. It is

pertinent to mention at this stage, neither there was complain nor the adverse remarks at any point of time.

8. That the Regional Deputy Director Education, Saharsa had issued the letter no.1566 dated 09.11.2011 in connection of the information of teaching and non-teaching employees of the college in question submitted by the Principal of the college dated 12.06.2010 under Right to Information Act, 2005 which includes their name and the details with respect to the appointment and joining in the different subjects/faculty.

A photocopy of letter no.1566 dated 09.11.2011, issued by RDDE, Saharsa is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-'2'** to this writ application.

9. That the Deputy Director, Secondary Education had issued the order under memo no.327 Patna dated 01.02.2012 address to the District Education Officer,

Madhepura providing the amount of grant/aid Rs.38,64,800/- to the college in question for the year 2006-08. The direction was issued reflects that the same was provided for the payment of the salary to the teaching and non-teaching employees legally appointed under the sanctioned strength/posts. The further indication was for the mode of payment through the Cheques under the account of the concerned employees.

A photocopy of memo no.327 Patna dated 01.02.2012 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-'3'** to this writ application.

10. That the college authority had received the aforesaid grants/aid pertaining to the payment of salary through the competent authority. However, they proceeded whimsically and not consonance with the law and direction, by not providing the salary to these petitioners, although they are entitled in accordance with the law on the ground of the

legal appointment and continuous in service against the respective post.

11. That the college authority had exceeded the limit and insured the payment to the selected teaching and non-teaching employees and simultaneously included the names of the several persons in the payment register in the garb of the teaching and non-teaching employees where they are outsider. It is relevant to state that the names of nearest relative, friends and henchmen were included in the list and the genuine persons were denied from the benefit as stated earlier.

12. That there is a restriction imposed by the Intermediate Council much earlier in 2009 towards the appointment and the dismissal in absence of the necessary permission of the Council. The list supplied by the R.D.D.E., Saharsa and the C.D. maintained in the office under the Secretariat discloses the existence and entitlement of the petitioners. The names and details of the employees communicated by the Principal of the college under reference no.62 dated 18.06.2012 address to the District Education

Officer, Madhepura in shape of the utility certificate is quite clear that the name figures in the list supplied by the R.D.D.E., Saharsa and the Principal subsequently are quite different. It is submitted that the list supplied by the Principal as utility certificate did not disclose the payment of these petitioners and their names did not figure whereas the name of several persons were included in the payment list whose names were not available in the list of the R.D.D.E., Saharsa. It is explaining the conducts of the authority concerned.

Photocopy of reference no.62 dated 18.06.2012 is being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-'4'** Series to this writ application.

13. That it is relevant to state here that the private respondent issued 5 Cheques of the Central Bank of India, T.P. College Branch to Akhilesh Kumar Singh (petitioner no.1) Cheque No.788287, Arbind Kumar Singh (petitioner no.2) Cheque No.788292, Lal Bahadur Yadav (petitioner no.3) Cheque No.788283, Chandra Shekhar Yadav (petitioner no.4)

Cheque No.788290, and Hemendra Kumar (petitioner no.9) Cheque No.788288 dated 16.03.2012 respectively but after obtaining the signature on stamped payment register and Cheques aforesaid kept all the Cheques for their personal use and ousted these petitioners forcibly from their residence. On this corrupt practices of the Secretary and Principal the peititoner no.1 had instituted a FIR vide Madhepura P. S. case No. 111|2012 dated 16.03.2012 against the private respondents.

14. That the highhandedness, illegality and irregularity committed by the administration to the college in question were brought to the notice of the official respondents with a hope and trust that the issue may be examined and the payment insured after rectification and removing the defects and discrimination but the issue remains intact. Although the representations received on 20.03.2012, 24.03.2012, 27.03.2012, 15.05.2012 and 21.05.2012.

Photocopy of representations
received on 20.03.2012,
24.03.2012, 27.03.2012,

15.05.2012 and 21.05.2012 are being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-'5'** Series to this writ application.

15. That the close analysis of the materials available on records it is quite natural that the private respondents have acted while treating the grant/aid of the State as the paternal property and the payment as a bounty towards the employees. In fact they have tried with best to pay which are suited them. It is pertinent to mention here that the government authorities have acted as silent spectator by keeping a mum and as such their connivance for mishandling the fund based on the public exchequer cannot doubted.

16. That by virtue of the facts and circumstances and the reasons as aforementioned the authorities are required under law to act according to the list supplied by the RDDE, Saharsa in connection with the teaching and non-teaching employees of the college in question and insured the payment in terms of the guidelines issued by the Deputy Director,

Education, Government of Bihar vide memo no.327 Patna dated 01.02.2012 which was allotted for the year 2006-08.

17. That the points sum up for the consideration is whether the private respondents may utilized the fund as the parental property and the State authority may shut up the eye towards the handling of the public fund is justified or not. The answer is negative or not justified.

18. That in view of the facts and circumstances of the case, reasons as well explained and consideration in its totality it is just and proper that the present writ application may be allowed and the reliefs as sought for in paragraph no.1 of this application may be granted in favour of the petitioners which they are entitled in accordance with law.

19. That the petitioners have been advised and beg to submit that they have no other equitable, so efficacious, speedy, less expensive and alternative remedy than to move this Hon'ble Court under its extraordinary writ jurisdiction for redressal of their grievances.

20. That the petitioners have not moved this Hon'ble Court for the relief's sought for in this writ application on any earlier occasion.

It is, therefore, prayed that your lordships would graciously be pleased to admit this writ application. Issue Rule NISI, calling upon the respondents to Show cause as to why the relief (s) sought for in this writ application be not granted and upon cause being shown, if any, and also after hearing of the parties make the Rule absolute.

AND/OR

Pass such other order or orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioners shall ever pray.

A F F I D A V I T

I, Akhilesh Kumar Singh, aged about _____ years, Son of Late Tarkeshwar Prasad Singh, resident of Village + Post- Arrah, P.S.- Gheladh, District- Madhepura. Presently posted as Lecturer, Department of Physics, S.V.N. College, Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner no.1 in the instant writ application and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of this writ application and have fully understood the same. The statements made in paragraph nos. 107, 107011, 13, 15 to 20 are true to my knowledge and the statements made in paragraph nos. 819, 12, 14 are true to my information derived from the relevant Records of the case which I believe to be true and the rest are by way of submissions before this Hon'ble court.
3. That the Annexures are true typed/photostat copies of their respective originals.

A-1

प्रश्न :- कलिराम प्रसाद
सैमीय मिसा उपनिदेश
कोशी प्रमोद, रणरसो

~~कलिराम प्रसाद~~
सैमीय मिसा उपनिदेश

खेपा के
श्री 13 मिसा प्रसाद सिंह
जयश्याम, पो - साहुवा (बगवानपुर)
माया मिहान मिसा - मकियुवा
स्वयंभवा दिनांक - 02.11.11

विषय :- आप के हाथ में जमी सुभवा आई से लेखा
२२/११-१२ दिनांक ३.११.११ के लेखा में

महाशय,
उपर्युक्त विषय आप के हाथ दिनांक ३.११.११ को जारी से
लेखा २२/११-१२ दिनांक ३.११.११ के खाते में स्वामी विक्रम
इंटर कासेन मकियुवा के प्रयोगमाला स्वयंभवा (प्रसाद) सहित सभी
विषय / मिसा के कर्मचारियों की सूची की जागी है
अन्य मांग की गई कर्मियों की सूची भी प्रसाद
स्वायंभवा के आदेशों का पालन करने के लिए जारी है।

उत्तर :- यथोचित

विष्णु प्रसाद
2.11.11
सैमीय मिसा उपनिदेश
कोशी प्रमोद प्रसाद
11/11/11

ए न व र- ।
=====

संक्र- 1566/11

प्रे- श्री राम प्रसाद

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,

कोशी प्रमंडल, सहरा।

सेवा में,

श्री उमेश प्रसाद सिंह,

ग्रामीण शिक्षक, पीठ ताहुवा, मागवापुर।

माता - सिद्धा, पिता - मधुपुर।

सहरा, दिनांक- 09 अक्टूबर 2011.

विषय- आपके द्वारा मांगी गयी सूचना आर्क डी. संख्या- 22/11-12

दिनांक- 3.11.11 के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा दिनांक- 3.11.11 को आर्क डी. सं-

22/11-12 दिनांक- 3.11.11 के आलोक में स्वामी विवेकानंद इंटर

कांजे मधुपुरा के प्रयोगात्मक सहायक श्री प्रभारो श्री सतित तपती शिक्षक/

शिक्षक के कर्मचारी होने की सूची को मांग की गयी है।

अतः यंत्र की सभी क्षीणियों को सुदृष्टी की जायगी तथा इस प्रकार के मापन
संलग्न कर आवश्यक कार्य ही प्रोत्साहित रहेंगे।

विभागाध्यक्ष

अध्यापक—

80-अप्र ८, ९, १०, ११

पत्तिका ।

देशीय शिक्षण उप विभाग,

कोयंबी प्रमुख नगर ।

SWAMI VIVEKANAND COLLEGE

MADHEPURA- 852113

शिक्षक, शिक्षकेत्तर एवं कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	शिक्षकों की सूची	विषय	नियुक्ति	योगदान
1	वीणा कुमारी(प्राचार्य)	इतिहास	01-01-1995	17-01-1995
2	डा. अवधेश कुमार सिंह	गणित	12-01-1995	18-01-1995
3	मोहन यादव	इतिहास	16-05-1996	17-05-1996
4	मणिभूषण प्रसाद	हिन्दी	14-08-1995	17-08-1995
5	सुनिता कुमारी	हिन्दी	11-01-2008	15-01-2008
6	दिलीप कुमार सिंह	अंग्रेजी	02-02-1997	03-02-1997
7	सुबोध यादव	अंग्रेजी	02-02-1997	04-02-1997
8	ब्रजेन्द्र कुमार ब्रजेश	मेथिली	04-01-1992	14-01-1993
9	राजीव कुमार	मेथिली	15-05-1996	17-05-1996
10	अनिल कुमार	भूगोल	16-05-1996	19-05-1996
11	अरविन्द कुमार सिंह	तर्कशास्त्र	15-10-1995	18-10-1995
12	हेमेश कुमार सिंह	समाज शास्त्र	16-05-1996	20-05-1996
13	रमेश कुमार	मनोविज्ञान	16-05-1995	22-05-1995
14	मन्नीषा कुमारी	मनोविज्ञान	18-08-1995	22-08-1995
15	वन्दशेखर यादव	राजनीति शास्त्र	15-11-2007	17-11-2007
16	विधानवन्द सिंह	गणित	01-12-2008	03-12-2008
17	अर्चना कुमारी स्नेही	गृह विज्ञान	16-06-1996	20-06-1996
18	राम प्रकाश	रासयण शास्त्र	14-08-1995	17-08-1995
19	अखिलेश कुमार सिंह	भौतिक शास्त्र	15-10-1995	18-10-1995
20	लाल बहादुर यादव	जीव विज्ञान	15-05-1996	20-05-1996
21	गिरिश कुमार सिंह	अर्थशास्त्र	25-02-2007	26-02-2007
22	अशोक कुमार अमर	इतिहास	25-02-2008	26-02-2008
23	अनम कुमार अमर	समाज शास्त्र	25-02-2007	26-02-2007
24	संजीव कुमार सिंह	गणित	25-02-2007	26-02-2007

30

30
प्राचार्य
S. V. N.
MADHEPURA

SWAMI VIVEKANAND COLLEGE

MADHEPURA- 852113

किरानी

क्रम संख्या	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	योगदान
1	योगेन्द्र यादव	प्र० लिपिक	01-03-1990	08-03-1990
2	त्रिभुवन यादव	लेखापाल	01-03-1996	09-03-1996
3	विमल पोद्दार	दिनपरिया लिपिक	31-12-1989	01-03-1990
4	शम्भू कुमार	टंकक	31-12-1989	01-03-1990
5	उदीप कुमार	रोकर पाल	31-12-1989	01-03-1990
6	निरज प्रकाश	पुस्ताकलय अध्यक्ष	01-03-2007	09-03-2007
7	योग नारायण राय	शारीरिक अनुदेशक	02-02-1997	04-02-1997

चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी

क्रम संख्या	नाम	नियुक्ति की तिथि	योगदान
1	दिनेश कुमार यादव	01-03-1999	04-03-1999
2	सुभाष कुमार मेहता	01-03-1990	05-03-1990
3	ललन कुमार	01-03-1990	06-03-1990
4	रमेश कुमार	01-03-1990	09-03-1990
5	रघुनन्दन साह	01-03-1990	08-03-1990
6	समीन्द्र प्रकाश	01-02-2001	03-02-2001
7	राजीव कुमार	01-03-2001	04-04-2001
8	सुशील कुमार पोद्दार	01-02-2001	08-03-2001

प्रयोगशाला प्रभारी

क्रम संख्या	नाम	विषय	नियुक्ति की तिथि	योगदान
1	मीणा कुमारी	गृह विज्ञान	01-03-1990	05-03-1990
2	श्याम किशोर सिंह	भूगोल	01-03-1990	06-03-1990
3	गार्गी सिंह	संगीत	01-03-1990	06-03-1990
4	फुलेन्द्र कुमार	मनोविज्ञान	01-03-1990	06-03-1990
5	कुन्दन कुमार	भौतिकी	01-03-2007	09-03-2007
6	उर्मिलेश कुमार सिंह	रसायनशास्त्र	01-03-2007	09-03-2007
7	ध्रुव मोदी	जीवविज्ञान	01-03-2007	09-03-2007

32
 प्रचार्य
 3.3.11
 MADHEPURA

32

पत्रांक : वि०को०/वि०शिक्षा/इंटर/मधेपुरा/21/10

शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक :

अजीत कुमार
उप निदेशक (मा० शिक्षा)

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

पटना, दिनांक : फरवरी, 2012.

विषय : प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय (उच्च माध्यमिक विद्यालय) को अनुदान की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 538 दिनांक 19.05.2009 एवं 381 दिनांक 09.03.2010 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में स्वामी विवेकानन्द इंटर महाविद्यालय, मधेपुरा के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रतिवेदित कक्षा XII के वार्षिक परीक्षा 2006-2008 में उत्तीर्ण छात्र संख्या के आधार पर पूर्ववर्ती कक्षा XI में छात्र की संख्या की गणना कर अनुदान की राशि कुल 38,64,800/- (अड़तीस लाख चौंसठ हजार आठ सौ मात्र) रुपये निम्न शर्त के साथ दिनांक 19.01.2012 को निर्गत ड्राफ्ट संख्या 170257 से संबंधित महाविद्यालय को हस्तगत कराने हेतु निदेशानुसार निम्न शर्त के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपर्युक्त संकल्प में अनुदान की राशि को संधारण/वितरण के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

(i) विभागीय पत्रांक 896 दिनांक 28.07.10 के आलोक में (छाया प्रति संलग्न) दिनांक 26.03.08 तक विधिवत् नियुक्त स्वीकृत मानक के अन्तर्गत स्वीकृत पद के आलोक में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अनुदान की राशि का वितरण चेक/एडवाईस के माध्यम से शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के खाते में हस्तान्तरण किया जायेगा।

(ii) महाविद्यालय अपने नियमित छात्र के आधार पर ही आवकलित अनुदान की राशि का उपयोग करेंगे। यदि उन्हें दुसरे महाविद्यालय के छात्र के लिए अनुदान की राशि प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तुरन्त अधोहस्ताक्षरी को हाथो-हाथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) अनुदान की राशि महाविद्यालयों के प्रबंध एवं शासन के लिए गठित प्रबंध समिति, न्यास निगमित निकाय एवं शासी निकाय के सचिव एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित खाता में संधारित की जायेगी।

डिग्री महाविद्यालय जिसके अन्तर्गत +2 महाविद्यालय संचालित है उसकी राशि डिग्री महाविद्यालय के खाते में संधारित की जायेगी। डिग्री महाविद्यालय के अन्तर्गत यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उच्च माध्यमिक प्रभाग द्वारा +2 महाविद्यालय के प्रभाग को अलग

अस्तित्व प्रदान किया गया है तो इस महाविद्यालय के लिए गठित समिति को यह राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) महाविद्यालय को वास्तविक प्राचार्य को ही अनुदान की राशि उपलब्ध कराया जाय। महाविद्यालय में प्राचार्य का विवाद होने पर ड्राफ्ट वापस कर दी जाय।

(v) महाविद्यालय के प्रबंध एवं संचालन के लिए गठित प्रबंध समिति, न्यास, निगमित निकाय एवं शासी निकाय में विवाद होने पर प्राप्त ड्राफ्ट वापस कर दी जाय।

(vi) उच्च माध्यमिक विद्यालय/इंटर महाविद्यालय अनुदानित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आंतरिक लेखा अंकेक्षण निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराकर विहित प्रपत्र में सचिव एवं प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

(vii) भारत के अंकेक्षक एवं लेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा-जोखा संबंधित महाविद्यालय (उच्च माध्यमिक विद्यालय) द्वारा अलग से रखा जायेगा। निदेश दिया जाता है कि संलग्न बैंक ड्राफ्ट संबंधित महाविद्यालय (उच्च माध्यमिक विद्यालय) के प्राचार्य को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर हस्तगत करायें तथा विभागीय संकल्प संख्या 538 दिनांक 19.05.2009 एवं 381 दिनांक 09.03.2010 के अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अजीत कुमार)

उप निदेशक (मा० शिक्षा)

ज्ञापांक : वि०को०/ वि०र०शि०/ इंटर/ मधेपुरा/ 21/10/327 पटना, दिनांक : .../... फरवरी, 2012

गतिलिपि : प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द इंटर महाविद्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

307
11/2
उप निदेशक (मा० शिक्षा)

11/2/12

A. 3-

SWAMI VIVEKANAND INTER, COLLEGE

MADHEPURA Pin-852113

Principal

BINA KUMARI

No.:- 9431657531

Ref. No. 62/12

Date 18.06.12

सेवा में,

उप शिक्षा निदेशक श्री अजीत कुमार

मानव संसाधन विकास विभाग पटना

विषय:- वर्ष 2008 के लिए महाविद्यालय को उपलब्ध कराई गई अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में।

प्रमाण

सादर पूर्वक कहना है कि स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, मधेपुरा कोड 630 को वर्ष 2008 के अनुदान की राशि 38,64,800 (अरतीस लाख चौसठ हजार आठ सौ आपाक वि० को०/वि० २० शि०/इंटर/मधेपुरा 21/10327 पटना दिनांक 01 फरवरी 2012, दिनांक 19.01.2012 को निर्गत ड्राफ्ट सं०- 170257 के माध्यम से निर्गत कराई गई। जिसका अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र आपके सामने समर्पित किया जा रहा है।

(Signature)
सुरेश कुमार
सचिव

भवदीय

प्राचार्या

- (1) चार्टर एकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण प्रमाण पत्र।
- (2) विहित प्रपत्र।

SWAMI VIVEKANAND INTER, COLLEGE

MADHEPURA Pin-852113

Principal

BINA KUMARI

No:- 9431657531

Ref. No.63/12

Date 18-01-012

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।

विषय:- वर्ष 2008 के लिए महाविद्यालय को उपलब्ध कराई गई अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर पूर्वक कहना है कि स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, मधेपुरा कोड 6301 को वर्ष 2008 के अनुदान की राशि 38,64,800 (अरतीस लाख चौसठ हजार आठ सौ) झापांक : वि० को०/वि० २० शि०/इंटर/मधेपुरा 21/10327 पटना दिनांक 01 फरवरी 2012, दिनांक 19.01.2012 को निर्गत डाफ्ट सं०- 170257 के माध्यम से निर्गत कराई गई। जिसका अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र आपके सामने समर्पित किया जा रहा है।

बिना कुमारी

सचिव

महाविद्यालय

भवदीय

अनुदान प्रमाण पत्र

(1) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा अंकेक्षण प्रपत्र।

(2) विहित प्रपत्र।

प्राचार्या

PRINCIPAL

S.V.N. COLLEGE
MADHEPURA

WAMI VIVEKANAND INTER, COLLEGE

MADHEPURA Pin-852113

Principal

BINA KUMARI

No.: 9431857539

Ref. No.

Date


स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय मधेपुरा।

कार्ड - 6301 वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अध्यागनस्त 08 के इटरमीडिएट रोक्षा में उत्तार्ण छत्र छात्राओं क संख्या क आधार पर प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।

क्र. सं.	शिक्षक एवं शिक्षकेंतर कर्मचारियों का नाम।	पद नाम	विषय	चेक संख्या	राशि	बैंक का नाम। पैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, टी0पी0 कॉलेज कैम्पस, मधेपुरा। राता सं0 3164918276
01	02	03	04	05	06	07
✓01	वीणा कुमारी	प्राचार्य		788277	1,49,360	
✓02	अवधेश कुमार सिंह	व्याख्याता	गणित	788276	1,42,000	
03	मनोज कुमार		संगीत	788273	1,42,000	
✓04	ब्रजेश कु0 ब्रजेश		पैथेती	788294	1,42,000	
✓05	रमेश कुमार		मनोविज्ञान	788291	1,42,000	
✓06	अनिल कुमार		भूगोल	788282	1,42,000	
07	अनिल कुमार		इतिहास	788281	1,42,000	
08	विजय कुमार		अर्थशास्त्र	788280	1,42,000	
✓09	अवना कु0 रंजनी		एडमिनिस्ट्रेशन	788286	1,42,000	
✓10	राम प्रकाश		रसायन	788284	1,42,000	
			शास्त्र			
11	मौ0 ईजराईल		उर्दू	788278	1,42,000	
12	शशि भूषण यादव		भौतिकी	788677	1,42,000	
13	सुरेश प्रसाद मेहता		जीव विज्ञान	788678	1,42,000	
14	अरुण कुमार अमर		समाज शास्त्र	788676	1,42,000	
15	उपेन्द्र कामत		अंग्रेजी	788679	1,42,000	

प्राचार्य

सुरेश कुमार
सचिव



401265

SWAMI VIVEKANAND INTER, COLLEGE

MADHEPURA Pin-852113

Principal

BINA KUMARI

No. 9431657534

Sl. No.

Date.....

स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय मधेपुरा।

कोर्ड-- 6301, वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अध्ययनरत 08 के इटर्मीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के सरख्या के आधार पर प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोगित प्रमाण पत्र।

क्र० सं०	शिक्षकेत्तर नाम	कर्मों का पद नाम	चेक संख्या	राशि	बैंक का नाम बैंक का नाम। सन्तुल बैंक ऑफ इंडिया टी०पी० कॉलेज कैम्पस ब्राच मधेपुरा। खाता सं०-- 3064918276
01	02	03	04	05	06
✓ 01	नीरज प्रकाश	पुरत कर्मचारी	788680	70,440	
✓ 02	त्रिभुवन यादव	लिपिक	788681	60,500	
03	अमित कुमार	लिपिक	788682	60,500	
04	सुदन कुमार	लिपिक	788683	60,500	
✓ 05	राजेश कुमार	आदेशपाल	788684	60,500	
✓ 06	साधेन्द्र प्रकाश	आदेशपाल	788685	60,500	
07	शशि कर्ण	राशि	788686	60,500	
08	किरण कुमारी	लिपिक	788687	60,500	
				कुल	26,31,300

कुल प्राप्त राशि 38,64,800

वितरण की गई राशि - 26,31,300

शेष राशि

12,33,500

प्राचार्य

बिना कुमारी
सचिव



चाहते हैं

401365

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना

विज्ञप्ति संख्या-04/2009

सभी प्रस्वीकृत/अनुशंसित इंटर महाविद्यालयों के प्रबंधक/प्रभारी प्राचार्य कृपया ध्यान दें:

एतद् द्वारा उपर्युक्त कोटि के महाविद्यालयों के सभी प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि ऐसी सूचना मिली है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित महाविद्यालयों को अनुदान देने से संबंधित घोषणा के पश्चात् अधिकांश इंटर महाविद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा महाविद्यालय में पूर्व से कार्यरत कर्मियों को परिषद् (निरसित) द्वारा प्रकाशित विज्ञप्तियों-43/92 एवं 31/93 में विहित निदेशों को अनदेखी करते हुए अवैध रूप से हटाया जा रहा है और उनके स्थान पर नयी नियुक्ति की जा रही है। ऐसी कार्रवाई पूर्णरूपेण अवैध है।

अतएव इस विज्ञप्ति के माध्यम से ऐसे महाविद्यालयों को अंतिम रूप से चेतावनी दी जाती है कि इस प्रकार का अवैध कार्य न करें। यदि किसी महाविद्यालय के संबंध में ऐसी सूचना मिलती है तो जाँचकर उनके विरुद्ध समुचित विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित महाविद्यालय को भविष्य में मिलनेवाले किसी भी लाभ से वंचित किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से
(रघुवंश कुमार)
निदेशक (शैक्षणिक)

रघुवंश कुमार

14 जनवरी 2009

सेवा में,

श्रीमान् सचिव महोदय, विहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्चतर माध्यमिक) बुद्धमार्ग
पटना 01

विषय— स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, मधेपुरा के प्रार्चाया एवं सचिव के द्वारा सादा चेक एवं कागज पर हस्ताक्षर करवाने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि दिनांक—16.03.2012 को दिन के करीब 11 बजे हम पाँचों व्यक्ति (1) अखिलेश कुमार सिंह व्याख्याता भौतिकी विभाग (2) लाल बहादुर यादव व्याख्याता जन्तु विज्ञान, (3) अरविन्द कुमार सिंह व्याख्याता तर्कशास्त्र (4) चन्द्रशेखर यादव व्याख्याता राजनीति शास्त्र से स्वामी विवेकानन्दन इन्टर महाविद्यालय मधेपुरा के प्रार्चाया श्रीमति वीणा कुमारी सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार एवं उनका पुत्र श्री नीरज प्रकाश अपने निज आवास पर बुलाकर जबरन सादा चेक एवं रिभेन्डु टिकट साटकर वेतन वितरण पंजी पर हस्ताक्षर करवा लिए ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2008 की अनुदान राशि के रूप में बिहार सरकार ने इस महाविद्यालय को 3864800 रूपये दी है। हम लोग के साथ सुनिता कुमारी व्याख्याता हिन्दी विभाग भी थी उन्होने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिस पर उन्होने कॉलेज से हमलोगों को निकालने की धमकी प्रार्चाया एवं सचिव द्वारा दी गई इसके पूर्व भी कॉलेज लेटर पेड पर तीन प्रति जो सादा था पर हस्ताक्षर करवा लिया गया है। मैंने इस संदर्भ में तुरन्त स्थानीय थाना को लिखित रूप में सूचित किया जिसका केस न०111/2012 है। (जिसका छाया प्रति संलग्न है)

क्योंकि कुछ व्याख्याताओं का वेतन बियरर चेक के माध्यम से सचिव एवं उनके पुत्र द्वारा निकासी कर लिया गया है जो कि सरकारी नियम के विरुद्ध है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि शेष बची राशि को अपने देख-रेख में वितरण करवाने की कृपा की जाय। ज्ञातव्य हो कि निकासी की गई राशि उन शिक्षकों को नहीं दी गयी है यदि अविलम्ब कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो इस महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षेत्तर कर्मियों के जीवन के सारी आशाएँ द्युमिल हो जाएगी।

1. विश्वासभाजन
अखिलेश कुमार सिंह
2. लाल बहादुर यादव
3. अरविन्द कुमार सिंह
4. चन्द्रशेखर यादव
5. सुनिता कुमारी

20/3/12
Fax

ए ने क च र- 4811सरोज

सेवा में,

श्रीमान् जिला शिक्षा पदाधिकारी उच्चतर माध्यमिक

महोदय, मथुरा।

विषय- इंटरमीडियेट परीक्षा 2012 में वीक्षा कार्य करने की अनुमति देने के संबंध में।

महाशय,

ज्ञात हो कि अनुदान की राशि वितरण के दौरान हम लोगों से सचिव एवं प्राचार्य महोदय संयुक्त रूप से सादा चेक एवं रिमोन्यू टिकट सादा वेतन वितरण पंजी पर जर्बस्ती हस्ताक्षर करवा लिये है। पूर्व में भी इन्होंने तीन सादा लेटर फ्रे पेडपर सबों से अलग-अलग हस्ताक्षर करवा लिये है, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने धाना में शिकायत दर्ज कर दिये है, जिसका कांडसंख्या- 111/2012 है। अब सचिव एवं उनके पुत्र हम लोगों को महाविद्यालय जाने से कई लोगों द्वारा मना कर रहे है। साथ ही हम लोगों को मारपीट की भी धमकी भी देते है तथा उपस्थित बनाने से मना करते है, और उपस्थित पंजी भी नहीं देते हैं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि इस संबंध में मार्गदर्शन देने की

कृपा कीजाये कि हम लोग उपस्थित कहा बनाने तथा इंटरमीडियेट परीक्षा

2

अपने ही महाविद्यालय में वीक्षाकार्य करवाने प्राचार्या को दिया जाये, ताकि हमलोग अपने - अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें।

विश्वासभाजन,

प्रतिनीतिप-

1. अशिलेखा कुमार सिंह, मो० 91999

जिला कार्यक्रम पदा० उ०मा००॥

व्याख्याता- भाषाशास्त्र विभाग, एम. म.

मधेपुरा, दि० 24-3-12

2 लाल बहादुर यादव

व्याख्याता- जीवन विज्ञान

3 अरविंद कुमार सिंह,

व्याख्याता- तर्कशास्त्र

4 चन्द्रशेखर यादव, व्याख्याता-राजनीति

स्वामी विवेकानंद महावि०, मद

सेवामें

श्रीमान् जिलाकार्य क्रम पदाधिकारी मधेपुरा

विषय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, मधेपुरा में बाहरी व्यक्तियों को
वीक्षक सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में ।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में बाहरी
व्यक्तियों को वीक्षकाकार्य हेतु केन्द्र अधीक्षक के द्वारा नियुक्त किया गया है,
और हम लोगों को वीक्षका कार्य से अलग रखा गया । जिससे गलत मांगीसकता
स्पष्ट होता है। परीक्षा नियंत्रक के पृष्ठताछ करने पर पता चला कि
अनुमोदित सूची में उन लोगों का नाम अंकित है।

उपरोक्त संदर्भ में कहना है कि शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल
सहरसा से सूचना अधिकार के तहत प्राचार्य द्वारा समीपित शिक्षक एवं
शिक्षकेतर कर्मियों का सूची में उक्त व्यक्तियों का नाम अंकित नहीं है।

॥ छात्रापीठ संलग्न ॥

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपर्युक्त विषयों पर समीचीन
कार्यवाही की जाये ताकि स्वच्छ परीक्षा संचालित हो सके।

अहो- यथावत् ।

विश्वासभाजन

26-3-2012

1. अशिता लक्ष्मी कुमारीसंह,

२

२ लाल बहादुरशास्त्री

व्याख्याता- जीव विज्ञान

३ अशोक कुमार सिंह,

व्याख्याता- तर्क शास्त्र

४ चन्द्रशेखरशास्त्री

व्याख्याता- राजनीति शास्त्र

सेवामें,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय, मधेपुरा।

विषय- श्री स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, मधेपुरा में इंटरमीडियेट परीक्षा 2012 में वीक्षा कार्य हेतु जाने के क्रम में असांभाजिक तत्वों के द्वारा रोक कर धमकी देने के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि हमलोग चार व्याख्याता, अर्थात् श्री कुमारीसंह, लाल बहादुर यादव, अरविंद कुमारसंह, और चन्द्रशेखर यादव, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में कार्यरत हैं। हमलोग वीक्षा कार्य करने अपने महाविद्यालय जा रहे थे, जाने के क्रम में जैसे ही मुख्य सड़क से जो मधेपुरा से राँता जाने वाली सड़क से कच्ची सड़क जो महाविद्यालय, की ओर जाती है। हमलोग दो मीटर सायकल से जा रहे थे, जैसे ही कच्ची सड़क पर उतरे तो कुछ व्यक्तियों को द्वारा हमलोगों को रोक लिया और अश्लील वाक्यों का व्यवहार करने लगा। साथ ही कहे लगा कि एक ओर संबंधन समिति पर क्लेश करते हो और परीक्षा लेने जाते हो, वहीं से हमलोगों को हीथियार का भाव दिखाने लगे और लौटा दिया। साथ ही चेतावनी भरी वाक्यों में कहा कि अगर आर्द्धन्दा कॉलेज के

वर्ष के लिए विद्यार्थी भेजा तो जाने से मार देंगे। ज्ञातव्य है कि इसके

२

पूर्व में भी लिखात रूप से मिलकर हमलोग श्रीमान् को उक्त जाकारि दे चुका हूँ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वर्णित स्थिति को ध्यान में रखाते हूये हमलोगों को उचित दिशा-निर्देश कदीजायें।

श्रीशवासभाजन

दि 27.3.2012,

1. अखिलेश कुमारीसिंह,

व्याख्याता-भौतिक विभाग, एम.ए.एन.

कालेज, मधुपुरा।

2. लाल बहादुर यादव

व्याख्याता-जीव विज्ञान

3. अरविंद कुमार सिंह,

व्याख्याता-तर्क शास्त्र

4. चन्द्रशेखर यादव

व्याख्याता-राजनीति शास्त्र

सेवार्थ,

श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, मधेपुरा।

विषय- स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, मधेपुरा में इंटरमीडियेट परीक्षा-

2012 में वीक्षा कार्य हेतु जाने के क्रम में अस्माजिक तत्वों के द्वारा रोक कर धमकी देने के संबंध में ।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि हमलोग चार व्यवस्थाता अशोक कुमार सिंह, लाल बहादुर यादव, अरविंद कुमार, सिंह, और चन्द्रशेखर यादव, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, में कार्यरत हैं। हमलोग वीक्षा कार्य करते अपने महाविद्यालय जा रहे थे, जाने के क्रम में जैसे ही मुख्य सड़क से जो मधेपुरा से राँता जाने वाली सड़क से कच्ची सड़क जो महाविद्यालय की ओर जाती है हमलोग दो मोटर साइकिल से जा रहे थे। जैसे ही कच्ची सड़क पर उतरे तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा हमलोगों को रोक लिया और अश्लील शब्दों का व्यवहार करने लगा। साथ ही कहने लगा कि एक ओर प्रबंधन सीमित परकेश करते हो और परीक्षा लेने जाते हो वहींसे हमलोगों को दण्डित का भाव दिखाकर लौटा दिया। साथ हीचेतवनी शब्दों में कहा कि अगर आई=दा कॉलेज के ईर्द - गिर्द दिखाई दिया तो जान से मार देंगे।

ज्ञातव्य हो कि इसके पूर्व भी लिखित रूप से लिखकर हमलोग श्रीमान् को

2

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वरिष्ठत स्थिति को ध्यान में रखते
हुये हमलोगों को उचित दिशा निर्देश दी जायें।

विश्वाम्नाजन

दि 27-3-2012,

1. अरिषा लेखा कुमारीसंह,

व्याख्याता- भारतीय विभाग, एस. एम. एस.

कालेज, मधुपुरा।

2 लाल बहादुर यादव

व्याख्याता- जीव विज्ञान

3 अरविंद कुमारीसंह,

व्याख्याता- तर्क शास्त्र

4 चन्द्रशेखर यादव

व्याख्याता-राजनीति शास्त्र

सेवामें,

माननीया श्रीमतिरेणू कुंठावाहा

मंत्री,

बिहार सरकार।

विषय- प्राचार्य, सचिव एवं इनके पुत्र के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।

महाराज,

सविशय निवेदन है कि स्वामी विवेकानंद इंटर महाविद्यालय, मधेपुरा में व्याप्त अराजकता सारी सीमाओं को तोड़ चुकी है। यह महाविद्यालय मंदिरालय एवं व्यवस्थापकों का अड्डा हो चुका है। इस महाविद्यालय के सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार हैं। तथा इसकी पत्नी वीणा कुमारी प्राचार्या के पद पर आसन है। जबकि इनका पुत्र नीरज प्रकाश जो महाविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। नीरज प्रकाश ही मुख्य रूप से प्राचार्या की कुर्सी पर बैठा करते हैं तथा प्राचार्या के बदले इन्हीं के नकली दस्तावेजों से महाविद्यालय का औपचारिक कार्य चलाया जाता है। नीरज प्रकाश के बगल-बगल की कुर्सी पर कोई व्याख्याता या कालेज कर्मियों नहीं रहते हैं। बल्कि समाज के छोटे-गुठे लोग इनके साथ बैठकर शराब पीते रहते हैं। सभी कालेज कर्मियों इनके व्यवहार से इतना डरते हैं कि कोई भी कालेज परिसर जाने का साहस नहीं उठा पाता

44

लगातार

ये लोग अपने आवास पर ही शिक्षक एवं शिक्षितर कर्मियों का उपस्थित
पंजी रखाते हैं तथा मीटना में एक बार इन्हें औपचारिक रूपसे पुरा
करा जाता है। यहां होने वाली प्रयोगिक परीक्षा एक मजाक
बनकर रह गया है। जिसमें सभी आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं का हस्ताक्षर
इन्होंने ज्वारियों एवं दाऊवाजों के द्वारा की जाती है। किसी भी आंतरिक
एवं बाह्य परीक्षा को इस बात का पता तक नहीं चलता है कि वहाँ
परीक्षक के रूप में नियुक्त है या नहीं। हाल ही में बिहार सरकार
द्वारा वर्ष- 2008 के लिये भोजी अनुदान की राशि का जिस तरह से
छूले तोड़ पर बंदर बांट किया गया एवं डेयरर चेक द्वारा फर्जी शिक्षकों
को सारो राशि प्रोसुरेन्द्र कुमार एवं उनके बेटा के द्वारा बैंक से उठा-

लीगयी। यह किसी से छुपा नहीं इसके संदर्भ में न्यायालय में कांड
 संख्या- 111/12 दर्ज है। प्रीति उपाध्यक्ष एवं संबंधित बैंक मैनेजर
 के लिखित जांच प्रिन्विदन के अवलोकन से सभी सारी बातें स्पष्ट
 हो जायेगी। हम सारे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को का लेज जाने से मना किया
 किया जा रहा है और सभी कमरों में प्राचार्या द्वारा ताला बंद कर दी गयी है।

अतः श्रीमति से नमू प्रिन्विदन है कि महाविद्यालय को इस स्थिति में
 अपने स्तर से हस्तक्षेप कर उचित एवं कठोर निर्णय लेकर सीचिव, प्राचार्य एवं
 इसके पुत्र को महाविद्यालय से हटाकर मीदरालस बनने से रोकी जायें।

अनुलग्नक- 1. प्राथमिकी की छायाप्रति। विश्व

2 अनुसूचित प्रीति पदा० की

जांच रिपोर्ट छायाप्रति।

विश्वासभाजक

शिक्षक और शिक्षकेतर कमी, 28-4-2012,

1. जीखालेश कुमारीसंह, व्याख्याता- भौतिकी
2. मोहन प्रसाद यादव, व्याख्याता- इतिहास
3. लाल बहादुर यादव, व्याख्याता- जीव विज्ञान
4. चन्द्रशेखर यादव, व्याख्याता- राजनीति विज्ञान

5. अरविंद कुमार सिंह- लेखक मास्त्र
6. अर्चना कुमारी- "सनेही"
7. योगेन्द्र प्रसाद यादव प्रधान लिपिक
8. उदीप कुमार लेखापाल
9. राम कुमार टंक लिपिक
10. विमल पौदार दिव्यर्षि लिपिक
11. ललन कुमार
12. दिनेश कुमार
13. सुभाष कुमार मेहता

3.

14. सुनील कुमार
15. रमेश कुमार
16. ध्रुव कुमार मोदी ॥ प्रयोगशाला प्रभारी ॥ जीवविज्ञान ॥
17. गिरीश कुमार सिंह ॥ व्याख्याता अर्थशास्त्र ॥
18. रघुनंदन साह
19. मीणा शुभा प्रसन्न ॥ व्याख्याता ॥ हिन्दी ॥
20. हेमेश कुमार ॥ व्याख्याता समाजशास्त्र ॥

तेवमें,

श्रीमान् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मधेपुरा।

मधेपुरा।

विषय- प्राचाया, सचिव, प्राचार्या के भाई एवं प्राचार्या के पुत्र के विरुद्ध
का चुनी कार्यवाही करने के संबंध में।

महाशय,

सचिवनय निवेदन है कि स्वामी विवेकानंद इंटर महाविद्यालय,
मधेपुरा में व्याप्त अराजकता सारी सीमाओं के तोड़ चुकी है। यह महाविद्या-
लय मदीरालय एवं व्यवहारारिचर्यों का अड्डा हो चुका है। इस महाविद्यालय
के सचिव सुरेन्द्र कुमार है तथा इनकी पत्नी श्रीमती वीणा कुमार प्राचार्या
के पदपर आसिन है, जबकि इनका पुत्र नीरज प्रकाश जो महाविद्यालय,
में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। नीरज प्रकाश ही मुख्य रूप से प्राचा-
या के कुर्सीपर बैठा करते है तथा प्राचार्या के बदले इन्हीं के जकली हस्ताक्षरसे
महाविद्यालय का औपचारिक कार्य सम्पन्न होता है। नीरज प्रकाश केबगल-
अगल की कुर्सीयों पर कोई व्याख्याता या कालेज के कर्मों नहीं रहते है
बल्कि समाज के छुटे हुए लोग इनके साथ बैठकर शरकरब पिते रहते है।
समाज कालेज कर्मों इनके व्यवहार से इतना त्रस्त है कि कोई भी कालेज
परिसर में जाने का साहस नहीं उठा पाते है ये लोग अपने आवास पर ही

कर लिया जाता है। यहां होने वाली प्रयोगिक परीक्षा एक मजाक बनकर रह गया है। जिसमें सभी आंतरिक एवं वाह्य परीक्षक का हस्ताक्षर इन्होंने जमा रखा एवं दाखवाजे के द्वारा की जाती है। किसी भी आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षक को इस बात का पता नहीं चलता है कि वो यहां परीक्षक के रूप में नियुक्त है कि नहीं पारश्वमिक भूगोल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बिहार सरकार द्वारा वर्ष-2008 के लिये भोजी अनुदान की राशिका जिस तर से छूले तोड़ पर नये- नये ढंग से राशिका बंदरबान्दी किया गया एवं बीयरर चेक द्वारा फर्जी शिक्षकों की राशिका श्री सुरेन्द्र कुमार एवं उनके पुत्र सुरज प्रकाश के द्वारा उठावती गयी है। प्राचार्य के भाई अन्त कुमार जो इस महाविद्यालय में भूगोल विभाग के व्याख्याता हैं। उनके साथ सुरेश प्रसाद मेहता के साथ मिलकर सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को बारी-बारी से सादा कॉलेज के लैटर पैड पर सादा रिजिस्टर पर जो जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने का अनवरत प्रयास करते हैं यह किसी से छुपा नहीं है। इसके संदर्भ में महाविद्यालय में कॉड सं- 111/12 दर्ज है। पुलिस उपाध्यक्ष एवं संबंधित बैंक मैनेजर के लिखित जांच प्रतिक्रिया के अवलोकन से भी जारी- बार्त स्पष्ट हो जायेगी हम सोड़े शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को कॉलेज जाने से-

मना रिकामा जा रहा है और सभी कमरों में प्राचार्य द्वारा ताला बंद कर दी गयी है। कालेज में 10 से 15 की संख्या में गुण्डा तत्व मौजूद रहते हैं। तथा कालेज आने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को डरा धमकाकर कालेज से भागा देते हैं।

मैट्रिक परीक्षा के क्रम में हम सबों को अपना अपना निवृत्त पत्र लाने का कहा गया हममें से कुछ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों निवृत्त पत्र लेकर प्राचार्य के आवास पर पहुँचे हमलोगों से निवृत्त पत्र अनिल कुमार तथा सुरेश प्रसाद मेहता प्राचार्य के कहने पर ले लिये बाद में निवृत्त पत्र लेने का कारण पूछने पर तथा इसे लौटा देने का आग्रह करने पर हमें माली मलौज देकर भागा दिया गया।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि महाविद्यालय की इस स्थिति में अपने स्तर से हस्तक्षेप कर उचित एवं कठोर निर्णय लेकर सीचिव, प्राचार्य, इनके पुत्र नीरज प्रकाश एवं प्राचार्य के भाई अनी कुमार का महाविद्यालय से हटाकर मदिरालय बनने से रोकी जायें।

दिनांक- 15/05/2012

विश्वासभाजन

1. मोहन प्रसाद यादव § व्याख्याता § इतिहास
2. अखिलेश कुमार सिंह § व्याख्याता - भौतिकी विभाग §
3. लाल बहादुर यादव § व्याख्याता - जीवविज्ञान §

4. अरविंदकुमारी सिंह § तर्कशास्त्र §
5. चन्द्रबोहार यादव राजनीति विज्ञान §
6. राम प्रकाश § रसायन विज्ञान §
7. राजीव कुमार § मेटलॉजी §
8. सुनीता कुमारी विन्दी §
9. हेमेश कुमार § समाज शास्त्र §
10. संजीव कुमारी सिंह § गीणात §
11. गिरिषा कुमारी सिंह § अर्थशास्त्र §
12. योगेश प्रसाद § प्रधान लिपिक §
13. विमल पोदार § दिनचर्या §
14. उदीप कुमार § लिपिक रोकड़पाल §
15. शंभु कुमार § टंकक लिपिक §
16. रमेश कुमार
17. सुभाष कुमार मेहता
18. दिनेश कुमार
19. सुशील कुमार
20. ललन कुमार
21. धूम मोदी

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

विषय- स्वामी विवेकानंद इंटर महाविद्यालय, मधु × मधेपुरा, में उपस्थित
गुंडा तत्वों के द्वारा हम कॉलेज कर्मियों को गाली गलौज देने तथा
कॉलेज से जबरन निकाल देने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि आज दिनांक- 21.5.2012 को दिन के 10
बजे जैसे ही हमलोग कॉलेज परिसर में प्रवेश करना चाहे वैसे ही वहां पहले
से मौजूद 10 से 15 की संख्या में बदमाश लोग हमलोगों को गाली गलौज
देना शुरू कर दिया तथा लाठी, दिशाकर धमकाने लगे जो कॉलेज हाता में
में प्रवेश करने के साथ ही तुमलोगों का हड्डी पसली तोड़ दूंगा। सभी
बदमाश लोग का नेतृत्व अनिल कुमार ख्याता भूगोल विभाग
कर रहे हैं।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि हमलोगों की सुरक्षा की व्यवस्था
की जाय ताकि हमलोग ससम्पन्न महाविद्यालय पहुंच कर अपना कार्य निरूपित
कर सकें। कृपा कर दिशा निवेश देने की कृपा की जायें।

विश्वासभाजक,

लगातार

दिनांक- 21.05.2012,

1. अखिलेश कुमारीसिंह- व्याख्याता - भाषितक विभाग
2. मीणा भाष्या पुताद- व्याख्याता, हिन्दी विभाग
3. चन्द्रशेखर यादव ॥ राजनीति विज्ञान ॥
4. सुनीता कुमारी- ॥ हिन्दी ॥

3.

5. हेमन्त कुमारः समाजशास्त्र
6. योगनारायणरायः शास्त्रीक अद्वैतकः
7. शंभु कुमारः लिपिकः
8. भूष मोदी - प्रयोगशाला प्रभारी
9. उदीप कुमार - रोकडपाल
10. योगेन्द्र प्रसाद यादवः प्रधान लिपिकः
11. ललन कुमार
12. रघुचन्द्र साह
13. किमल पौदारः दिव्यर्षि लिपिकः
14. गिरीश कुमारीसंह
15. सुशील कुमारः आदेशपालः
16. सुभाष कुमारसंहल
17. दिव्येश कुमार
18. उमेश कुमारीसंहः प्रयोगशाला प्रभारी स्थापनाशास्त्रः
19. रमेश कुमार
20. लाल बहादुर यादव
21. राजीव कुमारः मौलवी विभागः

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
मधेपुरा।

विषय :- प्राचार्या, सचिव, प्राचार्या के भाई एवं उनके पुत्र के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि स्वामी विवेकानंद इंटर महाविद्यालय, मधेपुरा में व्याप्त अराजकता सारी सीमाओं को तोड़ चुकी है। यह महाविद्यालय मदीरालय एवं व्यभिचारियों का अड्डा हो चुका है। इस महाविद्यालय के सचिव सुरेन्द्र कुमार है तथा इनकी पत्नी श्रीमती वीणा कुमारी प्राचार्या के पद पर आसीन है। जबकि इनका पुत्र नीरज प्रकाश जो महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर कार्यरत है। नीरज प्रकाश ही मुख्य रूप से प्राचार्या के कुर्सी पर बैठा करते हैं, तथा प्राचार्या के बदले इन्हीं के नकली हस्ताक्षर से महाविद्यालय का औपचारिक कार्य सम्पन्न होता है। नीरज प्रकाश के अगल-बगल की कुर्सियों पर कोई व्याख्याता या कॉलेज के कर्मी नहीं रहते हैं बल्कि समाज के छटे गुण्डे लोग इनके साथ बैठकर शराब पीते रहते हैं।

सभी कॉलेज कर्मी इनके व्यवहार से इतना त्रस्त है कि कोई भी कॉलेज परिसर में जाने का साहस नहीं उठा पाते हैं ये लोग अपने आवास पर ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का उपस्थिति पंजी रखते हैं तथा महीना में एक बार इन्हें औपचारिक रूप से पूरा कर लिया जाता है। यहां होनेवाली प्रायोगिक परीक्षा एक मजाक बन कर रह गया है। जिसमें सभी आन्तरिक एवं बाह्य परिक्षकों का हस्ताक्षर इन्हीं जुवारियों एवं दारुवाजों के द्वारा की जाती है। किसी भी आन्तरिक एवं बाह्य परिक्षक को इस बात का पता नहीं चलता है कि यहां परिक्षक के रूप में नियुक्त हैं की नहीं पारश्रमिक भुगतान का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008 के लिए भेजी अनुदान की राशि का जिस तरह से खुले तौर पर नये-नये ढंग से राशि का बंदर बांट किया गया एवं बियरर चेक द्वारा फर्जी शिक्षकों की राशि श्री सुरेन्द्र कुमार एवं उनके पुत्र सूरज प्रकाश के द्वारा उठा ली गई है। प्राचार्या के भाई अनिल कुमार जो इस महाविद्यालय में भूगोल विभाग के व्याख्याता है। सचिव पुत्र नीरज प्रकाश जो महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर है, सुरेश प्रसाद मेहता जो अनिल कुमार के मित्र हैं के साथ मिलकर सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को बारी-बारी से सादा कॉलेज के लेटर पेड पर सादा रजिस्टर पर जोर-जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया गया है। यह किसी से छुपा नहीं है। इसके संदर्भ में न्यायालय

में कांड सं०- 111/2012 दर्ज है। पुलिस उपाध्यक्ष एवं संबंधित बैंक मैनेजर के लिखित जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से भी सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। हम सारे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी को कॉलेज जाने से मना किया जा रहा है और सभी कमरों में प्राचार्या द्वारा ताला बंद कर दी गई है। दिनांक 22.05.2012 के अपराहन लगभग 8 बजे मो० नं० 9431657531 से प्रधान लिपिक योगेन्द्र प्रसाद यादव को गाली-गलोज एवं झूठा मुकदमा में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी प्राचार्या पुत्र नीरज प्रकाश के द्वारा दी गई, साथ ही महाविद्यालय के मूल अभिलेखों को एकत्र कर आग से जलाने तथा मुकदमा में फंसाने की भी धमकी दी गई।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि महाविद्यालय की इस स्थिति में अपने स्तर से हस्तक्षेप कर उचित एवं कठोर निर्णय लेकर सचिव, प्राचार्या इनके पुत्र नीरज प्रकाश एवं प्राचार्या के भाई अनिल कुमार को महाविद्यालय से हटाकर मदीरालय बनने से रोका जाय।

विश्वासभाजन

- ① श्री. आशिष कुमार सिंह
व्यारव्याता. मैथिली विभाग
- ② श्री. मणि भूषण-पहाड़-सिरी विभाग
- ③ श्री. हेमन्त कुमार
व्यारव्याता-समाजशास्त्र
- ④ चन्द्रशेखर यादव
व्यारव्याता (राजनीति शास्त्र)
- ⑤ गिरीश कुमार सिंह
व्यारव्याता (अर्थशास्त्र)
- ⑥ अरविन्द कुमार सिंह
व्यारव्याता तक शास्त्र
- ⑦ राजीव कुमार
व्यारव्याता-मैथिली विभाग
- ⑧ अभिलेख कुमार सिंह
प्रयोगशाला प्रभारी (रासायनिक)
- ⑨ लालन कुमार

- (11) योगीन्द्र प्रसाद झाँष (सुव्यान लिपिक)
- (12) विमल जोषार (दिनभर्या लिपिक)
- (13) रघुजगद्वज साह
- (14) रमेश कुमार
- (15) सुभाष कुमार मैहता
- (16) उदीप कुमार (शेकडपास)
- (17) संदीप कुमार सिंह (भा. गिर)
- (18) शम्भु कुमार टंकक (लिपिक)

सेवा में,

श्रीमान् सांसद सदस्य

(लोक सभा) मधेपुरा

विषय :-

स्वामी विवेकानंद इन्टर महाविद्यालय, मधेपुरा के प्राचार्या श्रीमती वीणा कुमारी, सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री अनिल कुमार, व्याख्याता तथा नीरज प्रकाश पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा सरकारी राशि गवन तथा महाविद्यालय कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आलोक में सादर अंकित करना है कि वर्ष 2008 के लिए महाविद्यालय को अनुदान राशि 3864800.00 (मो० अरतीस लाख चौसठ हजार आठ सौ रूपये मात्र) प्राप्त हुई। इस राशिको सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार उनकी पत्नी श्रीमती वीणा कुमारी, प्राचार्या उनका साला श्री अनिल कुमार, व्याख्याता, भूगोल तथा सचिवपुत्र श्री नीरज प्रकाश पुस्तकालयाध्यक्ष स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, मधेपुरा ने आपस में बंदर बांट करने की साजिश रची। कुछ हद तक वे सफल भी हो गए।

उपरोक्त सभी के काले कारनामों को निम्नलिखित दर्शाया जा रहा है :-

01. कर्मचारियों से महाविद्यालय के सादा लेटर पैड एवं रजिस्ट्र पर हस्ताक्षर करवाना।
02. कर्मचारियों से सादा चेक के पीछे दो हस्ताक्षर धमकी देकर करवाना।

इसकी सूचना मधेपुरा थाना कांड सं०- 111/2012 द्वारा पुलिस को दी गई। इसकी प्रतिलिपि माननीय जिला पदाधिकारी, मधेपुरा अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अध्यक्ष, सचिव इन्टर कॉन्सिल, बिहार पटना को भी दी गई।

03. वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा 2012 में वीक्षण कार्य से अलग किया गया और बाहरी व्यक्तियों को वीक्षण कार्य में लगाया गया।

इसकी लिखित सूचना दिनांक 24.03.12 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को दी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक- 254, दिनांक 25.03.12 द्वारा वीक्षण कार्य में रखने का आदेश प्राचार्या को दी गई। इसकी अवहेलना करते हुए हमलोगों से सिर्फ एक ही दिन हस्ताक्षर करवाकर हमलोगों को भगा दिया गया।

04. बीमार न रहते हुए भी केन्द्राधीक्षक का प्रभार दूसरे को देकर भागना चाहती थी, परन्तु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक- 255(सी०) दिनांक 25.03.12 द्वारा उन्हीं को केन्द्राधीक्षक बने रहने का आदेश प्राप्त हुआ।
05. महाविद्यालय जाने के क्रम में रास्ते में उक्त व्यक्तियों के द्वारा भेजे गए असमाजिक तत्वों के द्वारा डराने पर अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु दिनांक 25.03.12 को श्रीमान् थानाध्यक्ष, मधेपुरा को जान-माल की सुरक्षा हेतु आवेदन दिया गया।
06. दिनांक 26.03.12 को पुनः धमकी दी गई, जिसकी सूचना माननीय जिला पदाधिकारी, मधेपुरा, अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा से प्रत्यक्ष भेंट कर दिनांक 27.03.12 को दी गई।
07. पुनः महाविद्यालय जाने से रोकने तथा धमकी मिलने पर इसकी सूचना दिनांक 18.04.12 को केस के अनुसंधान पदाधिकारी को दी गई।

08. दिनांक 27.04.12 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा को आवेदन समर्पित जिसमें कर्मियों से सादा कागज एवं रजिस्टर पर किये गए हस्ताक्षर के दुरुपयोग न्यायालय में करने के संबंध में जानकारी दी गई।
09. दिनांक 28.04.12 को राशि गवन तथा हमलोगों को अनुदान से वंचित रखने की शिकायत पत्र माननीय मंत्री रेणु कुशवाहा को महाविद्यालय कर्मियों द्वारा लिखित रूप में दी गई।
10. दिनांक 13.05.12 को कॉलेज के मुख्य द्वार पर कर्मियों द्वारा उक्त लोगों के खिलाफ धरना दिया गया। जिसके संबंध में दिनांक 14.05.12 के दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित की गई। मुद्दों से संबंधित सूचना पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
11. प्राचार्या के भाई अनिल कुमार एवं उनके मित्र सुरेश प्रसाद मेहता प्राचार्या पुत्र नीरज प्रकाश द्वारा अभद्र व्यवहार करने तथा कॉलेज में मदीरा पान आदि के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी को दिनांक 15.05.12 को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई। छायाप्रति संलग्न।
12. महाविद्यालय जाने पर भाड़े के गुण्डों द्वारा धमकी तथा अभद्र व्यवहार की शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को लिखित सूचना 21.05.12 को दी गई। साथ ही यह भी धमकी दी जाती है कि ये लोग अगर महाविद्यालय परिसर में किसी भी तरह से आते हैं तो महाविद्यालय के अभिलेखों में आग लगा दो तथा केस में फंसा देने की धमकी दी जाती है।
13. दिनांक 22.05.2012 के अपराहन लगभग 8 बजे मो0 नं0- 9431657531 से प्रधान लिपिक एवं अन्य लिपिक योगेन्द्र प्रसाद यादव को गाली-गलोज एवं झूठा मुकदमों में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी प्राचार्या पुत्र नीरज प्रकाश के द्वारा दी गई। जिसकी सूचना अनुसंधान पदाधिकारी, कांड सं0- 111/2012 को लिखित रूप में दी गई है। पुलिस उपमहानिरीक्षक कोशी प्रमंडल, सहरसा से मिलकर शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया।
14. दिनांक 25.05.2012 को समाहरणालय, मधेपुरा के समाने प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया गया, बाद में शिष्ट मंडल जिला पदाधिकारी से मिलकर मांगों से संबंधित स्मार पत्र सौंपा।

श्रीमान् को जानकारी दे दूँ श्री सुरेन्द्र कुमार सचिव ने कई चेक की निकासी अपने तथा अपने पुत्र के द्वारा कर ली है, जबकि मानव संसाधन के निर्देशानुसार सभी कर्मियों को Account Paye Cheque अथवा Advice ही जारी करना था। श्री कुमार तथा उनकी पत्नी वीणा कुमारी प्राचार्या तथा पुत्र नीरज प्रकाश पर न्यायालय में केस भी चल रहा है। इसमें प्राचार्या की जमानत हो चुकी है जबकि अन्य बाहर घूम रहे हैं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि हमलोगों के भविष्य तथा परिवार के भविष्य को देखते हुए ध्यान देने का कष्ट करें। इस कार्य के लिए श्रीमान का सदा अभारी बने रहेंगे।

विश्वासभाजन

①

जयशंकर कुशवाहा सिंह
व्याख्याता : भौतिकी विभाग.

२

जयशंकर प्रसाद सिंह, हिन्दी विभाग

③

राधे-मधे-प्रसाद यादव इतिहास विभाग

④

श्री सुरेन्द्र कुमार (समाजशास्त्र)

- 6) श्रीगोविन्द प्रसाद यादव (पुद्धान लिपिक)
- 7) राजीव कुमार (व्यारख्याता मैथिली विभाग)
- 8) लाल कुमार
- 9) शम्भु कुमार (बंककलिपिक)
- 10) गिरीश कुमार सिंह (व्यारख्याता अकेश/अ)
- 11) सुभाष कुमार प्रेम्ना
- 12) दिनेश कुमार
- 13) विमल पौदार (दिनचर्या लिपिक)
- 14) रमेश कुमार
- 15) उमिलेश कुमार सिंह (प्रयोगशाला प्रभारी)
- 16) राम प्रकाश (रसायन शास्त्र)
- 17) चतुव कुमार मैथिली (प्रयोगशाला प्रभारी)
- 18) सुशील कुमार
- 19) उदीप कुमार (शैकड़पाल)
- 20) चन्द्रशेखर यादव व्यारख्याता - राजकीय विभाग
- 21) बलुदेव यादव

५
१५-५-२०१२
प्रतिनिधि

मधेपुरा-आसपास अनुदान में अनियमितता के खिलाफ धरना दिया



कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
मधेपुरा। निज प्रतिनिधि

स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के सचिव व प्राचार्य की मनमानी के खिलाफ कॉलेज में कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने रविवार को कॉलेज के मुख्य द्वार धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया।

धरना पर बैठे कर्मियों का कहना था वर्ष 2008 के लिए भेजी गई अनुदान की राशि का बंदरबांट कर लिया गया है। बियरर चेक द्वारा फर्जी शिक्षकों के नाम से सचिव व उनके पुत्र द्वारा राशि निकाल ली गई है। इससे संबंधित मामला न्यायालय में भी चल रहा है।

इन लोगों का कहना था कि अनियमितता सारी सीमाओं को तोड़ चुका है। सचिव, उनके पुत्र, प्राचार्य के कारनामों से शैक्षणिक माहौल समाप्त हो गया है। कॉलेज में असमाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है।

कर्मचारियों का हस्ताक्षर पंजी प्राचार्य व सचिव के घर पर ही रहता है। महीना में एक ही बार पूरे माह का हस्ताक्षर करवाया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा में भी व्यापक

रोष

- अनुदान राशि वितरण में गड़बड़ी का लगाया आरोप
- मामला स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज का

पैमाने पर गड़बड़ी कर लोगों का शोषण किया जाता है।

पीड़ित शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों का कहना था कि उन लोगों से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाया जाता है। लम्बी लड़ाई के बाद एक तो मानदेय आया, अब उसे हड़पने की साजिश की जा रही है।

धरना में शिक्षक अखिलेश कुमार सिंह, लाल बहादुर यादव, चंद्रशेखर यादव, योगेश यादव, मणिभूषण प्रसाद अरविंद कुमार सिंह, राजीव कुमार, हेमेश कुमार, संजीव कुमार सिंह, उदीप कुमार, गिरीश कुमार सिंह, शंभू कुमार, ललन कुमार, सुभाष कुमार महता व अन्य उपस्थित थे। धरना दे रहे कर्मियों का कहना था कि मामले का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

2012 शैक्षिक जागरण

विरोध में कालेज कर्मियों का धरना

मधेपुरा, निज संवाददाता : स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट कालेज में प्रबन्धन द्वारा व्याप्त अन्यायमिता एवं भ्रष्टाचार के विरोध में श्रमिकों को समाहरणालय के समक्ष कालेज कर्मियों ने धरना देकर प्रशासन से अंकुश लगाने की मांग की। धरना पर बैठे व्याहृतताओं एवं कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कालेज के सचिव और उनकी प्रधानाचार्य पत्नी, पुस्तकाध्यक्ष पुत्र आदि ने कालेज का वातावरण अशांत कर दिया है। यहां संपन्न होने वाली प्रायोगिक परीक्षाएं सजक बनकर रह गयी हैं। वर्ष 2008 में प्राण अनुदान राशि की बंदरबांट एवं फर्जी शिक्षकों को भुगतान का मामला उठाने हुए धरनार्थियों ने मधेपुरा थाना कांड में 2012 में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में कार्रवाई की मांग की है। धरनाथी प्रा.खिलेश कुमार सिंह, प्रा.मणि भूषण प्रसाद, प्रा.हेमेश कुमार, प्रा.चन्द्रशेखर यादव, प्रा.राजीव कुमार, प्रा.अश्विन्द कुमार



धरना देते कालेज कर्मी ।

जागरण

सिंह आदि ने अतिरिक्त कर्मचारियों ने एक स्वर में आरोप लगाया कि उन्हें कालेज परिसर में घुसने तक से रोका जाता है और

धमकी दी जाती है। बाद में धरनार्थियों ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।